जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 11 / डी–320 दिनांकः– 28-3-11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 75वीं बैठक दिनांकः 23.03.11 को प्रातः 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "**मंथन सभा कक्ष**" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		75:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 74वीं बैठक दिनांक 28.02.11 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 74वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 74वीं बैठक दिनांक 28.02.11:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 74वीं बैठक के प्रस्ताव सं. 74:6(1) में लिये गये निर्णय में खसरा नं. 2407 को संशोधित कर 1407 करने के साथ ही शेष कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अधिकांश प्रकरणों में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होना शेष बताया गया। आयुक्त महोदय ने संबंधित जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरणो में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्ति हेतु पत्राचार किया जावे।
2.	9	75:2	राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड 400 केवी जी.एस.एस. हीरापुरा, जयपुर को ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 965 में से 6 है0 भूमि 220 केवी जी.एस.एस. हेतु आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	12	75:3	राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लि0 के अधीक्षण अभियन्ता टीसीसी– प्रथम हीरापुरा, जयपुर द्वारा 220 केवी जीएसएस के लिये पत्र दिनांक 08.03.11 द्वारा ग्राम सरदारपुरा तहसील आमेर में 4 है0 भूमि आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	12	75:4	भूखण्ड सं. ए–9 रजत विहार योजना क्षेत्रफल 504.00 व.मी. का क्षेत्रफल के भूखण्ड की भूमि माननीय न्यायालय में विवादित होने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार रजत विहार योजना में भूखण्ड सं. ए–9 के स्थान पर समान माप का भूखण्ड सं. ए–27 विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

5.	13	75:5	पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के समाधान हेतु।	ग्राम नायला के खसरा नं. 4 की 243 बीघा एक बिस्वा व खसरा नं. 6/1 की 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि की सम्पूर्ण क्षेत्र की प्लानिंग करवाई जाकर 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि पत्रकारों की आवासीय समस्या के समाधान हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
6.	13	75:6	जयपुर विकास प्राधिकरण में सम्मिलित सिवायचक भूमि में से 20 प्रतिशत भूमि आवासन मण्डल, जयपुर को आवंटित करने बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा चाही गई भूमि चरागाह दर्ज है। राज्य सरकार के पत्र निश/प्रशास/नवि/2011/1643 दिनांक 14.03.11 नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-7(22)नविवि/3/87 दिनांक 01.01.07 से जविप्रा में शामिल 247 गांवों की सिवायचक भूमि में से 20 प्रतिशत भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इन 247 ग्रामों की कुल सिवायचक भूमि का 20 प्रतिशत भूमि आवासन मण्डल को देने का सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया। राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित की जाने वाली भूमि का चिन्हिकरण करने हेतु श्री गिरि राज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान आवासन मण्डल व जविप्रा के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करावे।
7.	13	75:7	सी.आर.पी.एफ. के सेक्टर हैड क्वार्टर की स्थापना हेतु 60 एकड़ भूमि आवंटन के संबंध में।	ग्राम नायला के खसरा नं. 4 की 243 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नं. 6/1 की 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि की सम्पूर्ण क्षेत्र की प्लानिंग करवाई जाकर 60 एकड़ भूमि सी.आर.पी.एफ. को आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।
8.	13	75:8	दस्तकार नगर बसाने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम नायला के खसरा नं. 4 की 243 बीघा 1 बिस्वा द खसरा नं. 6/1 की 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि की सम्पूर्ण क्षेत्र की प्लानिंग करवाई जाकर 100 बीघा भूमि दस्तकार नगर बसाने हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

1.	12	75:8(1)	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को ग्राम सांझरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 596 एवं 603 रकबा 28.78 है0 में से भूमि आवंटन करने बाबत।	प्रस्ताव सं. 75:6 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
2.	11	75:8(2)	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को ग्राम बीडरामचन्द्रपुरा, ग्राम डालूवाला तहसील फागी व ग्राम श्योसिंहपुरा, ग्राम रामपुरा ऊंती में भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 75:6 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया!
3.	12	75:8(3)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जयपुर को ग्राम कापडियावासकंला में 200 बीघा भूमि चरागाह विकास (सेवण घास) संधारण एवं	प्रस्तावानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जयपुर को चरागाह विकास (सेवण घास) संधारण एवं विकास हेतु ग्राम कापडियावासकलां में 200 बीघा भूमि की 5 वर्षो के लिये एन.ओ.सी. इस शर्त के साथ जारी करने का निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि में जिला परिषद,

			विकास हेतु 5 वर्षो के लिये देने हेतु एन.ओ.सी. जारी करने बाबत।	वन विभाग या ग्राम पंचायत का किसी भी प्रकार का अधिकार व हित सृजन नहीं होगा। उक्त एन.ओ.सी. मात्र 5 वर्षो के लिये चरागाह विकास के सीमित उद्देश्य हेतु जविप्रा का उक्त भूमि पर पूर्ण स्वामित्व रखते हुए दी जा रही है। उक्त भूमि पर किये गये विकासकार्यो/लाभों पर जविप्रा का एक मात्र पूर्ण अधिकार होगा तथा जविप्रा को उक्त अवधि से पूर्व भी बिना नोटिस के एन.ओ.सी. को विड्रा/समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, तथा उगाई गई सेवण घास का कोई मुआवजा जविप्रा द्वारा जिला परिषद् को भुगतान नहीं किया जावेगा। उक्त भूमि किसी भी रूप में हस्तान्तरित नहीं की जावेगी और न हीं किसी प्रकार का निर्माण किया जावेगा।
4.	13	75:8(4)	ग्राम कांट में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम कांट में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु खसरा नं. 1210 में से 2 बीघा भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
5.	13	75:8(5)	ग्राम छापराडी में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम छापराडी में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम छापराडी के खसरा नं. 201 में से 0.50 है0 भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208) नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
6.	13	75:8(6)	ग्राम कूकस में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम कूकस में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम कूकस के खसरा नं. 323 में से 0.50 है0 भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208) नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
7.	13	75:8(7)	ग्राम गोकुलपुरा में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम गोकुलपुरा में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया के खसरा नं. 18 में से 2 बीघा भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208) नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
8.	13	75:8(8)	ग्राम कंवरपुरा में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम कंवरपुरा में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम कंवरपुरा के खसरा नं. 185 में से 0.50 है0 भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208) नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
9.	13	75:8(9)	ग्राम राहोरी में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम राहोरी में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम राहोरी के खसरा नं. 402 में से 2 बीघा भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208) नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

10.	13	75:8(10)	ग्राम मानसरखेडी में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम मानसरखेडी में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम गानसरखेडी के खसरा नं. 236 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
11.	13	75:8(11)	एस.सी.पी.एम. एज्यूकेशनल ट्रस्ट को नॉलेज सिटी नॉर्थ–चौंप योजना में 15 एकड़ भूमि आवंटन बाबत।	एस.सी.पी.एम. एज्यूकेशनल ट्रस्ट, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत अगस्त 2008 से रजिस्टर्ड है। इस प्रकार संस्था को अस्तित्व में आये हुये 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए है एवं संस्था द्वारा 15 एकड़ भूमि आवंटन की मांग की गई है। संस्था ने ऑडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प–3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 14.02.05 के अनुसार चैरिटेबल संस्थाओं/ट्रस्ट को रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिये संस्था का अस्तित्व 3 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। उक्त परिपत्र के अनुसार संस्था को अधिकतम 3 एकड़ भूमि आवंटित की जा सकती है, जबकि संस्था ने 15 एकड़ भूमि की मांग की है। उक्त मापदण्डो की पूर्ति करने की शर्त पर एवं पी.डब्ल्यू.सी. के निर्णय के अध्यधीन उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए आवंटन के निर्णयार्थ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
12.	11	75:8(12)	ग्राम नेवटा में 33/11 सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम नेवटा में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम नेवटा के खसरा न. भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
13.	9	75:8(13)	जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु दक्षिणपुरी फेज व ग्राम किशनपुरा में पूर्व आवंटित भूमि की दर निर्धारण बाबत।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण की 67वीं बैठक में 1508 वर्गमीटर भूमि निजी खोतेदारी योजना दक्षिणपुरी फेज प्रथम के सुविधा क्षेत्र व ग्राम श्रीकिशनपुरा के खसरा नं. 649/971 में से निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया था। किन्तु जेविविएनएल को सोडाला थाने को शिपट करने के लिये ली गई भूमि के बदले में दुगुनी भूमि अन्यत्र निःशुल्क आवंटित कर दी गई है। उक्त भूमि जेविविएनएल आरक्षित दर पर लेने को सहमत है। अतः मौके पर उपलब्ध 1361.11 वर्गगज भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208) नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर जेविविएनएल को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु आवंटन का निर्णय लिया गया।
14.	13	75:8(14)	आनन्द बाल गृह सोसायटी द्वारा विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।	संस्था के प्रतिनिधी को प्रस्तुतीकरण देने हेतु आगामी बैठक में बुलाने का निर्णय लिया गया।
15.	13	75:8(15)	श्री महेन्द्रा लाईफ सपोर्ट सर्विस प्रा0 लि0 को 2 एकड़ भूमि ग्राम अचरोल सांईस टेक सिटी योजना में आवंटन बाबत।	स्टेट मेडिकल प्लानिंग एन्ड रिसोर्स कमेटी की बैठक दिनांक 28.09.10 में संस्था द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप–1) के पत्रांक एफ–5(3)एम.ई./ ग्रुप–1/2009 दिनांक 20.10.10 से ईमरजेन्सी मेडिकल टेकनीशियन्स एण्ड पेरामेडिक्स ट्रेनिंग एकेडमी एण्ड ट्रेनीज हॉस्टल के लिये संस्था को 2 एकड़ भूमि एयरपोर्ट के निकट, कोटा राजमार्ग पर

				आवंटित करने की अभिशंषा की है। कोटा राजमार्ग पर भूमि उपलब्ध न होने पर संस्था द्वारा सांईस टेक सिटी, अचरोल में भूमि आवंटन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। संस्था के प्रतिनिधी श्री सरफराज् अंसारी द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। संस्था का रजिस्ट्रेशन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 10.06.10 का है। राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 15बी के अन्तर्गत आवंटन हेतु राज्य सरकार ही सक्षम है। अतः चिकित्सा शिक्षा विभाग की अभिशंषा के आधार पर समिति द्वारा ग्राम अचरोल स्थित सांईस टेक सिटी योजना में 2 एकड़ भूमि आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
16.	14	75:8(16)	ग्राम तीतरिया में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम तीतरिया में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम तीतरिया के खसरा नं. 3019 में से 0.50 है0 भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/3/ 95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
17.	8	75:8(17)	जयपुर जिला माली समाज को वृद्धाश्रम बेरोजगार प्रशिक्षण, छात्रावास, सामुहिक विवाह एवं सामाजिक गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार सायपुर संस्थानिक क्षेत्र के भूखण्ड सं. 5 मे से 10000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
18.	10	75:8(18)	ग्राम सुमेल में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम सुमेल में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम सुमेल के खसरा नं. 208/1 में से 2000 वर्गमीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208) नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर राज्य सरकार से अनुमोदन एवं भू–उपयोग उपान्तरण की प्रत्याशा व न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन आवंटन का निर्णय लिया गया।
19.	10	75:8(19)	ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा में 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा के खसरा नं. 1095 से 1098 में से 45000 वर्गमीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/3/ 95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर राज्य सरकार से अनुमोदन एवं भू–उपयोग उपान्तरण की प्रत्याशा व न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन आवंटन का निर्णय लिया गया।
20.	10	75:8(20)	जविप्रा की योजना सुमेल में न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित/गड्डे में स्थित भूखण्डधारियों को सुमेल योजना में ही अन्य भूखण्ड आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

21.	2	75:8(21)	पुलिस विभाग को अम्बाबाडी योजना में आरक्षीगृह हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम बीड सरकारी, तहसील जयपुर के खसरा नं. 203 विधाधरनगर के सेक्टर नं. 4 में से 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
22.	2	75:8(22)	ईस्लामी कमेटी को मुरलीपुरा स्कीम में मस्जिद के लिये भूमि आवंटन बाबत।	राज्य सरकार को पूर्ण तथ्यो के साथ प्रकरण निर्णयार्थ भेजने का निर्णय लिया गया।
23.	12	75:8(23)	अरविन्द भारती विद्यालय समिति को भूमि आवंटन बाबत।	संस्था के प्रतिनिधी को प्रस्तुतीकरण देने हेतु आगामी बैठक में बुलाने का निर्णय लिया गया।
24.	10	75:8(24)	राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लि0 को ग्राम लखेसरा में 6 है0 भूमि आवंटन करने बाबत।	ग्राम लखेसरा के खसरा नं. 42 व 43 में से 6 है0 भूमि 220 केवी जीएसएस स्थापित करने हेतु नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर का 50 प्रतिशत पर भू–उपयोग उपान्तरण की प्रत्याशा व न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्राईवेट बस स्टेण्ड के लिये 3–4 साईट का शीघ्र चिन्हिकरण करने के निर्देश आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये। बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 75वी बैठक दिनांक 23.03.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री लोकनाथ सोनी, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
7.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन– 8	विशेष आमंत्रित
9.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री औंकारमल सैनी, उपायुक्त जोन–1 व 10	विशेष आमंत्रित
11.	श्री महेन्द्र खींची, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री बाबू लाल गोयल, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
13.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
14.	डा0 सत्यप्रकाश कस्वां, तहसीलदार जोन–2	विशेष आमंत्रित
15.	श्री भंवर सिंह राजावत, तहसीलदार जोन–6	विशेष आमंत्रित
16.	श्री नरेश सिंह तंवर, तहसीलदार, जोन–14	विशेष आमंत्रित
17.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित